

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29 SEP 2015

082730

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन-850/-रुपये

मैं विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व. बचई सिंह निवासी ग्राम फुलवारी पोस्ट टेऊंगा तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ का हूँ। जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है, व्यवस्थापको की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापको ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/- रुपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है, तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त धनराशि अंकन 11000/- रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है उक्त व्यवस्थापको ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है।



V.U. Singh

V.K. Singh  
MANAGER  
Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

15557

14.10.15

1000

वसुदेव लिट्टे

मेमो लिट्टे

कुठारी हा मना हा

का. शिवाजी

की मना हा लिट्टे लिट्टे हा

स्टाम्प विक्री लेव्ह 16  
नरसील परिवार, रायूर-प्रतापगड

वसुदेव लिट्टे हा कुठारी हा मना

वसुदेव

५



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ब० कौषाधिकारी

CT 008956

03 OCT 2015

प्रतापगढ़

इस अभिलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं, और घोषणा करते हैं कि -

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम बचई सिंह मेमोरियल ट्रस्ट (BACHAI SINGH MEMORIAL TRUST)
2. यह कि उक्त का पंजीकरण व प्रशासनिक कार्यालय फुलवारी कटरा रोड तहसील सदर जिला प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11000/- रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

V.U. Singh



MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari Kataria Road, Prataapgarh (U.P.)

15558 14.10.15 1000  
15558

महाराष्ट्र सरकार, सचिव-प्रतापगढ़

11,000.00

यास पत्र

110.00

20

130.00

800

फॉस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

न्यास की रजि

श्री

विनोद कुमार सिंह

पुत्र श्री

स्व. बचई सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थान

फुलवारी टेकंगा सदर प्रतापगढ़

अध्यायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 23/10/2015 समय 4:57PM

बड़े निबन्धन हेतु पेश किया।

*V.K. Singh*

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

*V.K. Singh*

श्री विनोद कुमार सिंह

पुत्र श्री स्व. बचई सिंह

पेशा व्यापार

निवासी फुलवारी टेकंगा सदर प्रतापगढ़

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान

श्री राकेश सिंह

पुत्र श्री

देवबहादुर सिंह

पेशा कृषि

निवासी

पूरे भगवानदास सदर प्रतापगढ़

व श्री

संजय सिंह

पुत्र श्री

लल्लन सिंह

पेशा

व्यापार

निवासी

महुली सदर प्रतापगढ़

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुशील कुमार

उप निबन्धक सदर

प्रतापगढ़

23/10/2015




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुशील कुमार

उप निबन्धक सदर

प्रतापगढ़

23/10/2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बचत कोष अधिकारी  
03 OCT 2015  
Pratapgarh

CT 008957

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्टी फन्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उमथान के कार्य , औषधालय सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय- समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय - समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी , गैरसरकारी, संस्थाओं व्यक्तियों व विभागो से करने का पूण अधिकार होगा ।
6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फन्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकतें है ।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य-

1) मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।



V. U. Singh



*V. K. Singh*  
MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

रजि० नं० 15559 दिनांक 14.10.15 सीमाती 100  
वदस्त.....  
परगना..... प्रतापगढ़  
वास्ते..... वेवा

सुभाष चन्द्र ओझा  
स्टाम्प प्रतापगढ़ ले० नं० 18  
तहसील पारंपर, सदर-प्रतापगढ़

न्यासी

Registration No.: 145

Year: 2,015

Book No.: 4

0101 विनोद कुमार सिंह  
स्व.बचई सिंह  
फुलवारी टेकंगा सदर प्रतापगढ़  
व्यापार




क





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 008958



2. इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना व संचालन करना।
3. कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।
4. बेरोजगार, जरूरतमन्द, व बेसहारा स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5. लड़के व लड़कियों के लिये अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
6. स्कूल, कालेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन, व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।
7. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
8. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
- (9) शैक्षिक किताबों पेपर (सप्ताहिक, दैनिक, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना लाइब्रेरी रीडिंग रूम तथा हास्टल / छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
- (10) सभी प्रकार की फिल्में टेली फिल्म फीचर फिल्म आदि का निर्माण कराना तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप करना।
- (11) धर्मशाला आश्रम, केश वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, अध्यात्मिक साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के धार्मिक सथल बनवाना व उनकी देखभाल करना।



V. U. Singh

MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

2




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03 OCT 2013

CT 008959

- (12) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता, समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।
- (13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बजिनेस प्रमोटर एवं मास्टर फॅन्चाइजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापको, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।
- (14) समय-समय पर विभिन्न समस्याओं जनमानस के विचारों को जानने के लिये प्रपत्र कर प्रारूप तैयार कर उसपर सर्वे करना।
- (15) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बिमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
- (16) गंगा एवं अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना तथा उनकी सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिस करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारी देना।
- (17) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करवाना।
- (18) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
- (19) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम है। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध भी न हो पाये।
- (20) निरीह प्राणियों पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
- (21) स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एव एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
- (22) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना उन्हें क्रय विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।



V. U. Singh  


*V. U. Singh*  
 MANAGER  
 Bachai Singh Sikshan Sansthan  
 Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वो कर्मचारी

CT 008960

- (23) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि का कृषि द्वारा कृषुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।
- (24) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ट्रस्ट के लिये दान देना व दान की रसीद देना।
- (25) यह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो
- (26) यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमी नगर/ वर्कशाप आयोजित करना।
- (27) यह कि धर्मशाला एवं मन्दिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लागो को लाभ हो सके।
- कार्यक्षेत्र-

7. यह कि न्यास/ ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन

(क) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति (चल व अचल) ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी। जिसे ट्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा। ट्रस्ट द्वार संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बंधक रख सकता है। ट्रस्ट/ संस्था की ओर से आवश्यक शपथ-पत्र / प्रति शपथ-पत्र या विलय पर ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होंगे।

(ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा, और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

(ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम 03 आजीवन सदस्य ट्रस्ट द्वारा नामित किये जायेंगे।

(घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व सामाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेंगे।



V. U. Singh



MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

गैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03 OCT 2015

CT 008961

ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होंगे।

- (ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा, और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।
- (ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम 03 आजीवन सदस्य ट्रस्ट द्वारा नामित किये जायेंगे।
- (घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेंगे।

**ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति -**

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
10. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारु रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
11. यह कि विनोद कुमार सिंह पुत्र बचई सिंह उपरोक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व श्रीमती तृप्ति सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह निवासी फुलवारी पोस्ट टेंस तहसील सदर जिला प्रतापगढ़ उक्त उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से निम्नवत् आवंटित करते हैं।

MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

V. K. Singh



## उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बचौ कायाधिकारि

CT 008962

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव को 13 OCT 2015 को अंत्य समय जीवनपर्यन्त होगा तथा वा व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेगा। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पर रिक्त उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग-पत्र देता है तो व्यवस्थापक को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग-पत्र देता है और उसे सचिव व अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

1. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे-

**अध्यक्ष** - ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

**उपाध्यक्ष** - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वहीं वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

**सचिव** - ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकाल को सुचारु रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के अदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण उनकी सुरक्षा करना।

**कोषाध्यक्ष** - ट्रस्ट की समस्त आय व्यय का हिसाब रखना व उसको आहिष्ट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होना या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा खातों का संचालन किया जा सकेगा।



V. U. Singh



V. U. Singh  
MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AA 203657

- यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे - न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपाकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।
- यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्यव्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझें प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे। तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसी परिवर्तन भी किया जा सकता है।
- यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।



MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY  
RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AA 203658

6. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय एवं संस्थओं फर्म बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरो, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य प्रकार से प्राप्त करने विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जायी है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।


9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार परिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस परिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

V. U. Singh

MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AC 923718

10. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूमियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण, बैंकर, दलाल, एजेन्ट, अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूमियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के करण ना हुआ तो ट्रस्टीगण उसके लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता सावधि जमा खाता बचत खाता और ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स-खातो व अन्य सभी बैंकिंग खातो का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन भी किया जा सकेगा।

12. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट का प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाबता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

15. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी को उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम लिख कर प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपस्थित होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर



न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य का अधिकार एवं दायित्व होगा।


16. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

17. यह कि ट्रस्ट की डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

18. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परासम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के समक्ष स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

मुकिरविनोद कुमार सिंह के दोनो हाथ की उंगलियों के निशानात

V. U. Singh  
  
23/10/15

संजय सिंह  
प्रबल व्यवस्थापक  
ज्यो महुवा  
लाठ खदर  
प्रतापगढ़  
23/10/15

रामेश सिंह  
श्री केशव लाल  
श्री श्री गणेश  
प्रतापगढ़  
30/10/15  
श्री श्री देव वर



V. U. Singh  
MANAGER  
Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

आज दिनांक 23/10/2015 को  
बही सं. 4 जिल्द सं. 73  
पृष्ठ सं. 77 से 100 पर कमाक 145  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Sushil Kumar*

सुशील कुमार  
उप निबन्धक सदर  
प्रतापगढ़  
23/10/2015





9 JK 10/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 524426


### ट्रस्ट डीड का पूरक दस्तावेज लगा

स्टाम्प 800+100=900/-

~~Stamp~~  
~~₹ 900~~



Vinod Singh



मैं विनोद कुमार सिंह आधार नं० 8311 1555 2506 मो० नं० 9648077999 सुत बचई सिंह निवासी फुलवारी टेऊंगा, पो० टेऊंगा, पर० तह० सद जिला प्रतापगढ़ जो कि मैं बचई सिंह मेमोरियल ट्रस्ट फुलवारी टेऊंगा का व्यवस्थापक न्यासीगण हूं, जिसकी रजिस्ट्री मैंने दिनांक 23.10.2015ई० बही नं० 4 जिल्द सं० 73 पेज नं० 77 से 100 नम्बर 145 पर उप निबंधक सदर प्रतापगढ़ के यहां रजिस्ट्री करा दिया है, परन्तु उक्त ट्रस्ट डीड में प्रतिबंध लिखना छूट गया है, जिसका दुरुस्त होना अति आवश्यक है बिना प्रतिबंध के कोई ट्रस्ट डीड पूर्ण नहीं मानी जाती है।

Vinod Singh

*(Signature)*  
MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 986571

उपरोक्त ट्रस्ट डीड अपनी जगह पर यथावत् रहेगा, उसके साथ प्रतिबंध जोड़ा जा रहा है, वह उक्त ट्रस्ट डीड का अंग माना जायेगा, तथा उक्त ट्रस्ट डीड के साथ पढ़ा जावेंगा। उपरोक्त ट्रस्ट डीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।

प्रतिबन्ध

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा  
लागू नहीं  
लागू नहीं

*V. U. Singh*



*V. U. Singh*

MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratappuram (U.P.)



V. P. Singh  
न्यास पत्र


प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री विनोद कुमार सिंह,  
पुत्र श्री बचई सिंह  
व्यवसाय : व्यापार  
निवासी: फुलवारी टेऊंगा सदर प्रतापगढ़




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/01/2018 एवं 03:27:05 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
यश्वेन्द्र द्विवेदी  
उप निबंधक :सदर  
प्रतापगढ़

२२९२ - २ ५७ २५

  
महेन्द्र नाथ शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता ला0नं0-11  
कलेक्ट्री-प्रतापगढ़

२५/०१/१७

3

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 986572

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुक्लक से अधिक शुल्क नहीं किया जायेगा।

हॉ

*Bachai Singh*



*Bachai Singh*


MANAGER  
Bachai Singh Sikshan Sanstha  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझाने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
न्यासी: 1

श्री विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री बचई सिंह

निवासी: फुलवारी टेऊंगा सदर प्रतापगढ़

व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1

श्री सूर्य प्रताप सिंह, पुत्र श्री इन्द्र बहादुर सिंह

निवासी: 1/16 टेऊंगा कालोनी सदर प्रतापगढ़

व्यवसाय: व्यापार


पहचानकर्ता: 2



श्री प्रत्यूष कुमार सिंह, पुत्र श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह

निवासी: बहलोलपुर सदर प्रतापगढ़

व्यवसाय: व्यापार



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यामेन्द्र द्विवेदी  
उप निबंधक : सदर  
प्रतापगढ़

*(Signature)*


महेन्द्र नाथ शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता ला0नं0-11  
कलेक्ट्री-प्रतापगढ़

24/01/18

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 986573

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेंगे और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल ऑफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

हॉ

*V. U. Singh*



*V. U. Singh*

MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 986574

(ड.) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते न दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त प्रशासकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

हों

हों

*V. U. Singh*



*V. U. Singh*  
MANAGER  
Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 986575

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी।

हों

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हों तो कृपया प्रबंधाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबंध क्रम 01 से 08 तक स्वीकार है।

हों

(झ) प्रतिबंध "क" से "ज" तक शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

*V. C. Singh*



*V. C. Singh*

MANAGER  
Bachai Singh Sikshan Sanstha  
Fulwari-Katra Road, Pratappgarh (U.P.)






भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 986578

अतः बहुत खुशी व रजामंदी व शुद्ध मस्तिष्क व पूर्ण स्वास्थ्य से  
यह पूरक दस्तावेज ट्रस्ट डीड का लिख दिया कि सनद् रहे समय पर  
काम आवें।

*v. u. Singh*



दिनांक- 25.01.2018ई०

मसविदाकर्ता-

*v. u. Singh*


MANAGER

Bachai Singh Sikshan Sansthan  
Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (U.P.)




बही संख्या 4 जिल्द संख्या 85 के पृष्ठ 145 से 162 तक क्रमांक 10 पर दिनांक 27/01/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
यशवंतराव द्विवेदी  
उप निबंधक : सदर  
प्रतापगढ़

२२२६ - २७ अंश

नं-२२९६

  
महेंद्र नाथ शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता ला0नं0- 11  
कलेक्ट्री- प्रतापगढ़  
24/01/18